न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः–गोविन्दसिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः– 15/2015 (2015/00119) प्रार्थना पत्र

उनवान

1–किशनलाल पिता चम्पालाल जाट निवासी पीथा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।

प्रार्थी

बनाम

1–अधिक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
2–सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट.</u>

उपस्थित
जाकिर हुसैन – **अधिवक्ता प्रार्थी**

निर्णय दिनांक 29.08.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पीथा का खेड़ा के बैरून हल्का आबादी मे साबिक कृषि आराजी संख्या 255/2 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा साबिक आराजी संख्या 257/1 रकबा 7 बिघा 7 बिस्वा साबिक आराजी संख्या 258 रकबा 2 बिघा 1 बिस्वा भूमिया साबिक खाता में प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थीं प्रमाण में पुरानी जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस सम्वत् 2046 से 2049 की एव पुराना नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर एक में अकित साबिक आराजी संख्या 255/2 रकबा 6 बिघा 4 बिस्वा में करीब 70–80 वर्षो पूर्व गावों में सड़क नही होने से लोग पैदल, पगडडी के रास्ते आवागमन करते थे जिससे पुराने नक्शे में डोटेड लाईन से पगडंडी का निशान अकित कर रखा है परन्तु 40–50 वर्ष पूर्व गांव में सड़क बन जाने से उक्त सुविधा समाप्त हो गई परन्तु प्रार्थी की आराजी डोटेड लाईन नक्शे में चलती रही प्रार्थी की आराजी संख्या 255/2 व 257/1 के पश्चिमी दिशा में सड़क बनी जिससे पुराना नक्शा में दर्शित कर रखा है परन्तु उसके नम्बर नक्शे में दर्शित नही किए गये है। तहसील रायपुर में भू–प्रबंध होने से ग्राम पीथा का खेड़ा में भी भू–प्रबंध हुआ जिससे प्रार्थी की साबिक आराजी संख्या 255/2, 257/1, 258 के नवीन नम्बर आराजी संख्या 456 रकबा 1.34 है0, 461 रकबा 1.59 है0, 462 रकबा 0.44 है0 कायम किए गये प्रमाण में मिलान क्षेत्रफल की नकल, नवीन जमाबंदी की नकल, नवीन नक्शा ट्रेस प्रार्थनापत्र के साथ पेश हैं। भू–प्रबंध विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा प्रार्थी की साबिक कृषि आराजियात के नवीन नम्बर एवं रकबा तो सही कायम किया गया परंतु बिना किसी विधिक आदेश एवं अधिकारिता के प्रार्थी के नवीन नक्शे को साबिक नक्शे एवं मौके के विपरीत तरमीम करते हुए प्रार्थी की कृषि आराजियात की पश्चिमी दिशा में स्थित विपक्षी संख्या 1 से 2 की सड़क संख्या 445 रकबा 1.21 है0 को प्रार्थी की आराजियात के बीचोंबीच तरमीम कर दिया जबकि साबिक नक्शे में और पर न तो सड़क है और न ही कोई रास्ता ही है। विपक्षी संख्या 1 व 2 की सड़क मौके पर प्रार्थी की आराजी में पश्चिमी दिशा मे स्थित है। भू–प्रबंध विभाग का उक्त कृत्य विधी विरूद्ध है जिससे प्रार्थी की नवीन नक्शे को पुनः साबिक नक्शे के अनुसार तरमीम करते हुए विपक्षी संख्या 1, 2 की सड़क संख्या 445 को

र्थी की आराजियात की पश्चिमी दिशा में तरमीम किया जाना आवश्यक हो गया है। सटलमेन्ट के दौरान विपक्षी संख्या 1 से 2 की आराजी संख्या 445 को बिना किसी आदेश प्रार्थी की भूमि में दर्ज कर देने से विपक्षी संख्या 1 व 2 आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है व विपक्षी संख्या 3 भूमिधारी होने से पक्षकार बनाये गये है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 08.12.2015 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटीस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 2 द्वारा जवाब पेश किया जो सामिल पत्रावली किया गया विपक्षी द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि पीथा का खेड़ा से मेरणिया खेड़ा सड़क राजस्व रेकार्ड में मौके में बनी हुई है वहा दर्ज न होकर दुसरी जगह दर्ज की हंई है उक्त सड़क को मौके में बनी हुई सड़क के अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने एवं जंहा मौके में सड़क नही है उस जगह को खातेदारी में दर्ज करते है तो इस विभाग को कोई आपत्ति नही है। पैरोकार नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नही ही है।

ग्राम पीथा का खेड़ा पटवार हल्का पीथा का खेड़ा के गत नक्शे के अनुसार विपक्षी संख्या 1 से 2 की आराजी संख्या 445 रकबा 1.21 है0 को पुराने नक्शे एवं मौके के मुताबिक नवीन नक्शे में प्रार्थी की आराजी संख्या 461 व 456 की पश्चिमी दिशा में तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हुं। अतः

आदेश

ग्राम पीथा का खेड़ा पटवार हल्का पीथा का खेड़ा के गत नक्शे के अनुसार विपक्षी संख्या 1 से 2 की आराजी संख्या 445 रकबा 1.21 है0 को पुराने नक्शे एवं मौके के मुताबिक नवीन नक्शे में प्रार्थी की आराजी संख्या 461 व 456 की पश्चिमी दिशा में तरमीम किये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है।

गोविन्दसिंह
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 29.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा